

2009/86

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छवड़ा जिला बारा (राज.)

द/प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
51/22	188 RTA	पानिया 31	5831
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
प्रभूलाल	बनाम	घनश्याम वर्ग 0	

वकील :- जिनेंद्र कुमार जैन आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

7/22

अभिमाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 212 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जर्जे सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 13/12/22 को पेश हों।

13/22

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गण 1 तथा 4 उपस्थित। प्रतिवादी कुल 5 शम्भुचरण लाल को के 2 से श्री चिरीजी लाल मीठ एवं एडवो। का उपस्थित नाभा पेश हुआ। जवाब हेतु सम्मन जारी है। वरिष्ठ जवाब पत्रावली दिनांक 30/12/22 को पेश हो।

सहस्रगरीश
पत्रावली
महावीर

30/22

आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिशति में दिनांक 14/11/22 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा (बारा),

14/11/22

आज पीटारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत रिशति में दिनांक 20/12/22 को पेश हो।


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छवड़ा (बारा),

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

दिनांक


4.12.24 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 9.12.24 को पेश हो।


 रीडर
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा),

9.12.24 पत्रावली पेश हुई। वकालत परीक्षण उपर तनकी काफर नहीं की जा सकी है। आजका पत्रावली अगले तनकी पाठ दिनांक 27.1.25 को पेश हो।



27.1.25 आज पीठारीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 1.3.25 को पेश हो।


 रीडर
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा),

11.3.25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं स्वयं वादी उपर नहीं है। न्यायालय के रुक रुक कर तीन बार आवान लगवाई गई। न्यायालय कार्यवाही स्थगित होने तक इंतजार किया गया। कोई उपर नहीं दुजे है। प्रकरण अफर हाजरी अफर परवा के खासि किया जात है। पत्रावली अगले शुक्र होकर दाखिल कर हो।

